फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री गिरीश मेहता, 34 सूर्योदय हाउस, अश्विनी मार्केट, उदयपुर — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा—अपील सूचना का अधिकार, 2005 — पत्रावली संख्या 44/2022

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
दिनांक 29.08.2022	

पत्रावली पेश हुई । अपीलांट अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जरिये क्रमांकः एफ.1( )सू.अ.05/2022/656–657 दिनांक 03 अगस्त, 2022 से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध होकर प्रार्थी अपीलार्थी को निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) एवं 7(5) के तहत प्रार्थी अपीलार्थी को जरिये पत्रांकः 358 दिनांक 22.03.2022 से लिखा जाकर अपीलार्थी को भी प्रति पृष्ठाकिंत की गई है। अपीलार्थी आज दिनांक तक सूचना प्राप्त करने के लिये लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ है अथवा सूचना प्राप्ति हेतु कोई शुल्क राशि भिजवाई है। जिसके अभाव में सूचना कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध है।

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत चाही गई सूचना उपलब्ध होकर प्रार्थी अपीलार्थी को निर्धारित शुल्क जमा कराने हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) एवं 7(5) के तहत प्रार्थी अपीलार्थी को जरिये पत्रांकः 358 दिनांक 22.03.2022 से लिखा जाकर अपीलार्थी को भी प्रति पृष्ठाकिंत की गई है। अपीलार्थी आज दिनांक तक सूचना प्राप्त करने के लिये लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ है न ही सूचना प्राप्ति हेतु कोई शुल्क राशि भिजवाई है।

अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता हैं कि नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद से प्राप्त करें। उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद को भिजवायी जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद